OFFICE OF DISTRICT COLLECTOR AND DISTRICT MAGISTRATE SAWAIMADHOPUR(RAJSTHAN)

File No.:12(8)School/Rev.96/ 571 Date: 17 June 2021

CERTIFICATE OF LAND

Certified that land measuring 60702.8 **(Area of Land in sq. meters)** situated in village Thingla, Khasra No. 190/851 (Old 155/1), 15 Acres Land out of Rakba 98 Bigha 18 Biswa Charagah Land Thingla, SawaiMadhopur, Rajasthan**[Plot No.(s)/Survey No.(s)/Khasra No. (s)]**, at Thingla, SawaiMadhopur, Rajasthan **(name of street/village, sub-division, district and state)** fully described in the schedule mentioned herein after, is owned by State Government**(Name of the owner)** in terms of Lease Deed **(give details of document/deed - i.e. sale deed/perpetual lease deed/gift deed/will/trust deed or other document of title)** dated 30.03.2001 executed by District Collector, SawaiMadhopur duly registered on 30.03.2001 **(date)** at Serial No. 614 in book no. 1, volume no. 222 on page 114 to 115 **(complete details of registration)** in the office of District Collector, SawaiMadhopur **(details of registration office)**. The validity period of lease is form 28.03.1998 (Date) to 28.03.2097 (for 99 Years)(Date). It is also certified that the said entire land comprises of a single plot of land.

It is further certified that the owner of the land has leased the said land to Kendriya Vidyalaya SawaiMadhopur **(name of lease)** vide lease deed dated 30.03.2001 duly registered on 30.03.2001 **(date)** at Serial No. 614 in book no. 1, volume no. 222 on page 114 to 115 **(complete details of registration)** in the office of District Collector, SawaiMadhopur **(details of registration office)** and the land is still in possession of the lessee. The validity period of lease is form 28.03.1998 (Date) to 28.03.2097 (Date).

It is further certifies that Kendriya Vidyalaya SawaiMadhopur, Thingla, SawaiMadhopur **(Name of the school with name of street/village, sub-division, and district)** is located on the said plot of land.

THE SCHEDULE OF LAND ABOVE REFERRED TO

All that piece and parcel of land measuring 60702.8 **(area of land in square meters)** situated in Khasra No. 190/851 (Old 155/1) 15 Acres Land out of Rakba 98 Bigha 18 Biswa Charagah Land Thingla, SawaiMadhopur, Rajasthan **[Plot No. (s)/Survey No.(s)/ Khasra No. (s)]** at Thingla, SawaiMadhopur, Rajasthan **(name of street/village, sub division, district and state)** and bounded as follows:

North - Link road to Aatun
East – Link Road to Aatun
West - Agricultural Land
South – Govt. ITI College

13/6/21

DISTRICT MAGISTRATE/ REGISTERING AUTHORITY WITH DESIGNATION

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

(Name of Officer) : Rajendra Kishan
(Name of District) : SawaiMadhopur, Rajasthan

Note: STRIKE OFF WHICHEVER IS NOT APPLICABLE

B - For SR. No. 03

भारत INDIA
FIFTY RUPEES
50RS

29 SEP 2000

पट्टा विलेख

===========

यह पट्टा विलेख दिनांक 30-03-2001 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिसे आगे पट्टा कर्ता कहेंगे जिस अभिव्यक्ति मे जब तक विषय या सन्दर्भ से अपवर्जित न हो, पद मे उसका उत्तराधिकारी अनुज्ञा आभिहस्तांकिति सम्मिलित है । एक पक्ष और दुसरे पक्ष मे केन्द्रीय विद्यालय संगठन सवाई - माधोपुर जिसे आगे पट्टेदार कहेंगे और जिस अभिव्यक्ति मे जब तक कि विषय या संदर्भ मे अपवर्जित न हो, पद में उसका उत्तराधिकारी जो अभिहस्तांकिति सम्मिलित है, के मध्य किया गया है ।

यह कि पट्टा कर्ता, नीचे बताई गई शर्तों पर पट्टेदार को 99 वर्ष की अवधि के लिए उक्त भूमि का पट्टा प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है।

अब यह विलेख निम्नलिखित साक्ष्य करता है:- (शर्तों के अनुरूप)

(1) यह कि उपरोक्त करार के अनुसरण मे, पट्टाकर्ता एतद् द्वारा कथित भूमि दिनांक 28-3-98 से 99 वर्ष अवधि के लिए पट्टेदार को पट्टे पर प्रदान की जाती है ।

(2) यह कि इसके पक्षकार आपस मे निम्नानुसार सहमत है :-

1. यह कि आवंटन निः शुल्क होगा ।
2. यह कि पट्टेदार की अवधि 99 वर्ष के लिए होगी । 99 वर्ष की अवधि समाप्ति होने के पश्चात पट्टाकर्ता स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और यदि भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो रहा है । जिसके लिए आवंटित हुई थी, और उसी प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक हुआ तो अवधि का आगे 99 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

(3) यह कि भूमि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जावेगा

उप पंजीयक
सवाई माधोपुर

(signature)
PRINCIPAL/प्राचार्य
KENDRIYA VIDYALAYA / केन्द्रीय विद्यालय
SAWAI MADHOPUR / सवाई माधोपुर
(RAJASTHAN) 322 001

20/3/2001

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYAL
सवाई माधोपुर / SAWAI MADHOPU
पिन-322001 (राजस्थान / RAJASTH

B - for SR No. 3

भारत
INDIA
FIFTY RUPEES
५०रु.
50RS

31.3.2001 तक आवश्यक रूप से प्रारम्भकर दो वर्षो के भीतर भवन का संनिर्माण पूर्ण करने के लिए और उसे उस प्रयोजन के लिए उपयोग मे लाने के उत्तरदायी होगा जिसके लिए उक्त भूमि को आवंटित किया गया है ।

§4§ यह भूमि राज्य सरकार मे निहित होगी ।

§5§ आवंटित भूमि पर निर्मित भवन का उपयोग जनता के लाभ के लिए किया जावेगा आवंटित भूमि और उस पर निर्मित भवन का किसी भी रूप में विक्रय उप पट्टे पर दिया जाना या अन्तरण, आवंटन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नही किया जावेगा ।

§6§ आरक्षित भूमि का उपयोग पुनः इस कार्यालय से आवंटित कराने पर किया जावेगा ।

§7§ यह कि उपरोक्त शर्तों मे से किसी शर्त का उल्लघंन होने की दशा में उस भूमि पर बने हुए निर्माण कार्य सहित बिना किसी क्षति पूर्ति के राज्य सरकार मे निहित हो जावेगी ।

§8§ यह कि खसरा नम्बर 155/1 रकबा 98 बीघा 18 विस्वा चरागाह में से 15 ऐकड़ भूमि वाके ग्राम ठींगला मे शब्दों मे पन्द्रह ऐकड़ भूमि आवंटित की गई है । जिसका नामान्तरण नं0 51 के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया हैं नकल संलग्न है ।

इन शर्तों मे इसके पक्षकारो ने इस विलेख पर उपरोक्त वर्ष तथा दिनांक को हस्ताक्षर कर दिया है ।

उप पंजीयक
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर
पट्टेदार

30/03/2001

राज्य सरकार की ओर से
हस्ताक्षर
जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय / KENDRIYA VIDYALAYA
सवाई माधोपुर / SAWAI MADHOPUR
पिन-322001 (राजस्थान / RAJASTHAN)